UDC UD.C

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] नई दिल्ली, सोमवार, जून 17, 2013/ज्येष्ठ 27, 1935
No. 290] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 17, 2013/JYAISTHA 27, 1935

शहरी विकास मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2013

सा.का.नि. 375(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) (उच्च श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 1968 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में समूह 'ग' (उच्च श्रेणी लिपिक) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2013 है ।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या,वर्गीकरण तथा वेतन–बैंड और ग्रेड–वेतन/वेतनमान:**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन–बैंड और ग्रेड–वेतन/वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति —
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ।
   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:—** इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन–बैंड और ग्रेड–वेतन/वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उच्च श्रेणी लिपिक	1813* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित/अनुसचिवीय	वेतन बैंड–1, 5200–20200 रु. ग्रेड–वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नही होता	80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 20 प्रतिशत समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नतियां, प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
निम्नानुसार प्रोन्नति द्वारा:– (i) 80 प्रतिशत के.लो.नि.वि.में वेतन बैंड–1,5200–20200रु. ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे स्थायी अवर श्रेणी लिपिक में से अनुपयुक्त होने पर अस्वीकृत किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर जिन्होंने आठ वर्ष नियमित सेवा की है । (ii) 20 प्रतिशत के.लो.नि.वि. में वेतन बैंड–1, 5200–20200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रु. में अवर श्रेणी लिपिक के खुले सीमित विभागीय प्रतियोगिता के आधार पर जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण–1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्राता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी : 1.अधीक्षण इंजीनियर (समन्वय) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से दो कार्यपालक इंजीनियर – सदस्य	लागू नहीं होता

ऐसी अर्हक या पात्राता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण**—2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षण वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।		

[फा. सं. 45/4/2004–एस एंड डी (ईडब्ल्यू–2)]
आर. एस. मीणा, डेस्क अधिकारी (ईडब्ल्यू 2)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2013

G.S.R. 375 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Upper Division Clerks Recruitment Rules, 1968, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts (Upper Division Clerk), Central Public Works Department in the Ministry of Urban Development, namely :—

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Upper Division Clerks (Group-C), Recruitment Rules, 2013.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.**— The number of post, its classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualification.**— No person, —

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Upper Division Clerk	1813*(2013) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted/ Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200-20200+ Grade Pay, Rs. 2400	Non-selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	80% by promotion failing which by direct recruitment. 20% by Limited Departmental Competitive Examination

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the Recruitment
(11)	(12)	(13)
By Promotion as follows:— (i) 80% on the basis of seniority subject to rejection of unfit from permanent Lower Division Clerks in the Pay Band-1, Rs.5200-20200+ Grade Pay Rs.1900 in the CPWD having eight years regular service. (ii) 20% on the basis of Limited Departmental Competitive Examination open to Lower Division Clerks in the Pay Band –I, Rs. 5200-20200+ Grade Pay Rs.1900 in the CPWD having five years regular service. **Note** :1 Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next	Group 'C' Departmental Promotion Committee: 1. Superintending Engineer (Coord.), Central Public Works Department – Chairman 2. Two Executive Engineers, from Central Public Works Department – Members.	Not applicable

higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibilityservice. **Note** : 2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission.		

[F. No. 45/4/2004-S & D (EW-2)]
R.S. MEENA, Desk Officer (EW-2)

2676 GI/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054